

(नवीन शपथ पत्र)

ब्राह्मण

शपथ पत्र

मेरे श्री/ श्रीमती/ कुमारी विभाग (संस्थान का नाम) में दिनांक पुत्र/ पुत्री/ पत्नी श्री को गैर्स्ट फैकल्टी
के लिये मेरे अपनी उपस्थिति दे रहा हूँ/ दे रही हूँ।

- यह है कि मैंने विभाग/ संस्थान द्वारा जारी विज्ञापन दिनांक के क्रम में अपना आवेदन प्रस्तुत किया है तथा मैंने विज्ञापन में वर्णित शर्तों को पढ़ यह समझ लिया है तथा उन शर्तों की पालना हेतु ध्यान बढ़ा हूँ।
- यह है कि मैंने राजस्थान सरकार के वित्त (तामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.6(2) वित्त लायिलिति 2021 दिनांक को अच्छे से पढ़/ समझ लिया है।
- यह कि मेरे द्वारा आवेदन पत्र में भरी गयी समस्त सूचनाएं पूर्णतया सत्य हैं तथा कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है।
- यह कि मेरे द्वारा जना किये गये समस्त मूल अभिलेख एवं अन्य दस्तावेज जो विभाग द्वारा अपेक्षित हैं (यथा पहचान पत्र जो आवेदन पत्र में अंकित हो, खूनतम शैक्षिक पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्राप्ताकार, नियम, जाति, विकलांगता, भूपूर्व स्वयं से संबंधित प्रमाण पत्र) पूर्णतया रही हैं।
- यह कि मेरे द्वारा प्रस्तुत किये गये समस्त मूल अभिलेख एवं अन्य सूचनाएं यदि जांच के दौरान कूटरचित/ फर्जी अथवा गलत पायी जाती हैं तो मुझे गैर्स्ट फैकल्टी से निर्मुख कर दिया जाएगा। कूटरचित/ फर्जी अथवा गलत पायी जाती है तो मुझे गैर्स्ट फैकल्टी से निर्मुख करते हुए मेरे विरुद्ध नियमानुसार विधिक जिला स्लारीय समिति के empellementi से निर्मुख करते हुए मेरे विरुद्ध नियमानुसार विधिक जिला स्लारीय समिति के द्वारा जिले के लिए किसी भी न्यायालय में बाद दायर नहीं करगा/ करायी।
- यह है कि कार्य निष्पादन के दौरान निर्धारित उच्च मानदण्डों के अनुसार अपनी सेवाएं प्रदान करना/ करायी तथा यदि मैं इसका उल्लंघन करता हूँ/ करती हूँ तो सरका एक कार्यवाही हेतु स्वतंत्र तथा अधिकृत होगी।
- यह कि मैं रथान परिवर्तन को माना नहीं करूँगा/ करायी।
- यह है कि मैं इस तथ्य से निष्पादन अवगत हूँ कि जिस रिक्त पद के विरुद्ध शपथग्रहिता को गैर्स्ट फैकल्टी पर रखा गया है उस पद के रथानान्वयन/ नवीन नियुक्ति द्वारा रिक्त पद के भरे जाने पर गैर्स्ट फैकल्टी की व्यवस्था स्वतं समाप्त समझी जायेगी तथा किसी विषय में एक से अधिक शिक्षक द्वारा होने पर आमन्त्रित विज्ञानों को उनकी ज्ञानायोग्यी गयी वरीयता सूची में सबसे नीचे रथान वाले शिक्षक को रथाने पड़ते मुक्त किया जायेगा।
- यह है कि मैंने यह झाँट से समझ लिया है कि यह व्यवस्था पूर्ण रूप से अस्थायी तथा एक सेमेरटर या एक सेशन के लिये है तथा भविष्य में हसके आधार पर नियमित नियुक्ति का दोषा नहीं करूँगा/ करायी।
- इस व्यवस्था से नियमित नियुक्ति या अन्य किसी भी कारण से मुझे यदि गैर्स्ट फैकल्टी के रूप में नहीं बुलाया जाता है तो मेरे द्वारा न्यायिक या प्रशासनिक स्तर पर कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया जायेगा।

11. मैं राज्य सरकार/विभाग/संस्थान द्वारा समय-समय पर जारी नियमों/निर्देशों की पूर्ण पालना करूँगा/करूँगी।
12. यह कि मुझे केन्द्र सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी अथवा समुचित प्राधिकारी के रवानित्याधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय अथवा विभाग द्वारा पदच्युत नहीं किया गया है तथा नैतिक अधमता अथवा किसी अन्य अपराध के लिए दोष सिद्ध नहीं किया गया है और नहीं कोई आपराधिक प्रकरण न्यायालय में लबित है।
13. मैंने यह समझा लिया है कि निम्न कार्य कुशलता, दुराचरण, अनियमितता तथा कार्य से अनुपरिधित की दशा में संस्थान या संघर्ष अधिकारी को यिन कारण बताये मुझे गेस्ट फेकलटी के रूप में निर्मुक्त करने का अधिकार होगा।
14. मैं राजकीय अग्रिमेख तथा सूचनाओं की गोपनीयता बनाये रखूँगा/रखूँगी तथा इसका उल्लंघन करने पर नियमानुसार दण्डीय कायदाधी का उत्तरदायी होऊँगा/होउगी।
15. यह कि मुझे ज्ञात है कि चूंकि यह व्यवस्था प्रति कालाश गान्देय भुगतान पर आधारित है अतः शपथग्रहिता वो किसी प्रकार का अवकाश देय नहीं होगा।

शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं शपथपूर्वक बयान करता हूँ/करती हूँ कि उपर्युक्त वर्णित विटु संख्या 01 से 15 में वर्णित तथ्य/सूचना मेरी जानकारी में सही तथा सत्य हैं मैंने इनको भलिभाति पढ़ तथा संगझ लिया है, मैंने कुछ नी असत्य व्यक्त नहीं किया है तथ न ही कुछ छिपाया है। यदि भविष्य में कोई सूचना/तथ्य असत्य या अपूर्व सिद्ध होता है तो मैं स्वयं इसके लिये उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी।

शपथग्रहिता